



2026:AHC:161943

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25964 वर्ष 2026

अफसर

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता

:

रमज़ान अहमद

विपक्षी(गण) पक्ष के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या- 65**

**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रमज़ान अहमद की ओर से अधिवक्ता श्री हसन परवेज़ और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इमरान खान की दलीलें सुनी गईं।
2. यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 42 सन् 2026 धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. थाना गाजीपुर, जिला फतेहपुर में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफ.फआई.आर. किसी का नाम नहीं था, लेकिन अन्वेषण के दौरान मृतक के भाई आवेदक और उसकी मां को इस आधार पर अभियुक्त बनाया गया कि मृतक का किसी गैर-मुस्लिम से संबंध था, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या की, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
4. उन्होंने आगे यह भी कहा कि सभी तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद भी मृतक की माता, अफसाना को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 8.7.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 22932 सन् 2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उनके समान है।
5. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 9.3.2026 से जेल में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।

8. हालांकि, आरोप के अनुसार, मृतक के भाई, आवेदक ने अपनी मां के साथ मिलकर मृतक की हत्या की, क्योंकि उनके अनुसार मृतक का किसी गैर-मुस्लिम से संबंध था। लेकिन यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और सभी तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद मृतक की मां, अफसाना को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला भी उनके समान ही है।

9. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 9.3.2026 से इस मामले में जेल में है।

10. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

11. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. आवेदक - **अफ़सर** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

13. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

4 अगस्त, 2026

एसकेएम

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।